



राजस्थान सरकार

सम्मान गादो के संग अधिनियम 202

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 167/2021

3

दिनांक : 11-11-2021

निर्णय:-  
आदेश

प्रार्थी श्री.....सतार खी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....असरु खी.....  
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....खारिया.....पटवार मण्डल.....बीनासर.....  
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071-74.....के खाता संख्या.....100.....में  
खातेदार/पैर खातेदार का नाम/जाति.....असरु खी.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।  
जिसे सम्मानजनक रूप से.....असरु खी.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....बीनासर.....से करवाने पर पटवारी ने.....असरु खी.....के  
बजाय.....असरु खी.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....असरु खी.....  
के बजाय.....असरु खी.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम  
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....खारिया.....  
के खाता संख्या.....100.....में खातेदार/पैर खातेदार का नाम/जाति.....असरु खी.....  
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....असरु खी.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,  
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



487  
11.11.2021

10/10

755

11/11/2021

11/11/21

उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)

चूरु

